

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र।

कृपया आरटीआई सेल के माध्यम से दिनांक 09.11.2020 को प्राप्त आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 29.10.2020 जिसकी पंजीयन संख्या डीओईएस/आर/ई/20/02180 है, का संदर्भ ग्रहण करे जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा में वास्तविक उपज आदि के संबंधी सूचना मांगी गई है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) का एसडीडीएस प्रभाग देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नामित राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकारियों (एसएसएसए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों के आधार पर देश में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के जिला-वार क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार (एपीवाई) के आंकड़ें संकलित करता है और उनका प्रसार करता है। आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिले की समस्त तहसीलों के समस्त हलकों में पैदावार संबंधी मांगी गई सूचना का रख-रखाव इस विभाग में नहीं किया जाता है, हालांकि जिला-वार सम्बन्धी क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार का डाटा वेबसाइट [https://aps.dac.gov.in/APY/Public\\_Report1.aspx](https://aps.dac.gov.in/APY/Public_Report1.aspx) से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसके अलावा, यह भी कहना है कि बाकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आगामी वर्षों के लिए एपीवाई के संबंध में जिला-वार आकड़ों के संकलन और संपादन का कार्य चल रहा है और यह उचित समय पर सार्वजनिक डोमेन (<https://eands.dacnet.nic.in>) में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. इस उत्तर के विरुद्ध प्रथम अपील, यदि कोई हो तो, प्रथम अपीलिय प्राधिकारी, पी. संगीत कुमार, सलाहकार, कमरा सं. 445-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली (ई-मेल:- [adviser.sdds-agri@nic.in](mailto:adviser.sdds-agri@nic.in), दूरभाष संख्या 011-23382236) के समक्ष सूचना प्राप्ति के 30 दिवसों के भीतर दायर कर सकते हैं।

भवदीय  
रुचि शर्मा  
24/11/20

(रुचि शर्मा)

उपनिदेशक (एसडीडीएस)

प्रति,

श्री बृजेंद्र बघेल, गांव तथा पो. आ. महागांव, जिला-रायसेन, बी-27, मध्य प्रदेश-464651

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:**

- श्री रामेश्वर सिंह, सीपीआईओ, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कमरा संख्या 341, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001